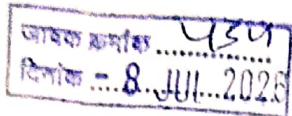


विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी - अध्यक्ष श्री सी०एम०बाजपेयी

सदस्य श्रीमती प्रीति रानी साव)



प्रकरण क्रमांक 26003/2026

संस्थित दिनांक 01.04.2026

मेसर्स मुंगेली इमेजिंग एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर

प्रो० श्री नरेन्द्र कुमार दुबे, दाऊपारा, मुंगेली,

पत्र व्यवहार का पता- जोरापारा एनडीआर कॉलेज के पास, सरकण्डा, बिलासपुर (छ०ग०)

परिवादी

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री (सं./सं.) संभाग,
छ०रा०वि०वि०क०मर्या० मुंगेली (छ.ग.)

2. सहायक यंत्री (जोन),
छ०रा०वि०वि०क०मर्या० मुंगेली (छ.ग.)

उत्तरवादी

आदेश

(आज दिनांक 08.07.2026 को पारित)

परिवादी की शिकायत, परिवादी द्वारा डिपॉजिट एवं एफोर्डिंग चार्ज को वापस किये जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है;

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:-

1. परिवादी के परिसर 40 कि.वा. का गैर घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया गया है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :-
(परिवादी द्वारा डिपॉजिट राशि एवं भुगतान की गई एफोर्डिंग चार्ज को वापस करने हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।)

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :-

1. परिवादी के द्वारा दिनांक 25.07.2016 को जमा राशि रु. 195144 /- (Service Connection Charges - 900/-, Affording Charges - 61000/-, Security Deposit - 80000/-, Supervision Charges - 43928/-, Service Tax - 9316) है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 01.12.2022 को जमा राशि को वापसी हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर वापसी प्रमाणक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 440 दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया था, उक्त पत्र के संदर्भ में उच्च कार्यालय द्वारा उक्त सर्विस कनेक्शन में रिफंड राशि का आउटगोईंग नम्बर दर्शित नहीं होने के कारण प्रकरण वापस कर दिया गया।
2. कंपनी के नियमानुसार उक्त जमा की गयी राशि में से केवल सिक्कोरिटी डिपोजिट राशि वापसी योग्य होती है, शेष शुल्क वापसी योग्य नहीं होती है। वापसी योग्य सुरक्षा निधि राशि रु. 80000 /- में से 30000 /- को उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित किया जा चुका है तथा शेष राशि रु. 50000 /- का सेप में पोस्टिंग नहीं होने के कारण वापसी हेतु आउटगोईंग नम्बर जनरेट नहीं हो पा रहा है, शेष सुरक्षा निधि राशि की पोस्टिंग नहीं होने के कारण वापसी प्रमाणक हेतु इस कार्यालय के कार्यालयीन टीप क्रमांक 72 दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।
3. परिवादी को 40 कि.वा. का गैर घरेलू कनेक्शन दिनांक 01.09.2016 को प्रदाय किया गया एवं दिनांक 03.11.2022 को उक्त विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया।

5.

है:-

मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते

1. क्या परिवादी, उत्तरवादी/अनावेदक से, अपने परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1006145857 में जमा की गई सुरक्षा निधि राशि को मय व्याज प्राप्त करने का हकदार है। यदि हां तो कुल कितनी राशि प्राप्त करने का अधिकार है?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6. विचारणीय प्रश्न से संबंधित प्रथमतः बी.पी. क्रमांक 1006145857 गैर घरेलू कनेक्शन में जमा सुरक्षा निधि राशि को वापस करने का निवेदन किया गया है परंतु उत्तरवादी द्वारा परिवादी के जमा सुरक्षा निधि राशि वापस करने की कोई कार्यवाही नहीं किया गया। फोरम द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत जमा सुरक्षा निधि राशि वापस करने हेतु निवेदन किया गया है, परिवादी का तर्क स्वीकार योग्य है।

उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बताया गया कि परिवादी के आवेदन अनुसार जमा सुरक्षा निधि राशि रु. 80000 /- में से 30000 /- को उपभोक्ता के बिजली बिल में समायोजित किया जा चुका है उसके पश्चात् वापसी योग्य राशि रु. 50000 /- की वापसी

[Signature]

[Signature]



हेतु कार्यालयीन टीप क्रमांक 72 दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रकरण उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया, उत्तरवादी का तर्क स्वीकार योग्य है।

मैं उक्त विचारणीय तथ्य का निष्कर्ष यह देता हूँ कि:-

उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज में उत्तरवादी द्वारा सुरक्षा निधि राशि वापसी हेतु दिनांक 15.04.2026 को कार्यालयीन टीप, प्रस्तुत कर कार्यवाही किया जाना पाया गया।

7. समस्त विचारणीय प्रश्न के निष्कर्ष के पश्चात्, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सहायक यंत्री (जोन) छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. मुंगेली द्वारा जवाब में यह तर्क दिया गया कि राशि रु. 50000/- की वापसी हेतु कार्यालयीन टीप क्रमांक 72 दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रकरण उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। अस्तु प्रस्तुत परिवाद स्वीकार कर निम्नांकित आदेश प्रदान किया जाता है:-

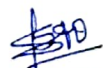
उत्तरवादी 30 दिवस के भीतर परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1006145857 गैर घरेलू कनेक्शन में जमा सुरक्षा निधि राशि को कंपनी के नियमानुसार मय ब्याज वापस करे।

उत्तरवादी यदि 30 दिवस के भीतर उक्त सुरक्षा निधि राशि वापस करने में असफल हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रतिमाह 1 प्रतिशत ब्याज उक्त वापसी राशि पर जब तक राशि वापस नहीं किया गया है तब तक ब्याज की गणना कर प्रदाय करे।

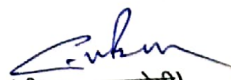
9. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर

टंकित कराया गया


(प्रीति रानी साव)
सदस्य

आदेश पारित किया गया


(सी.एम. बाजपेयी)
अध्यक्ष